Right to Food Campaign

Secretariat

Email: righttofoodindia@gmail.com | Mobile: 8527359760 Landline: 011-41613468

23 मई, 2021

निर्यात के बजाय खाद्यान्न का उपयोग भारतीयों के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु किया जाना चाहिए

कोविड-19 की रफ़्तार निरंतर जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता जा रहा है जिसके वजह से देश के अधिकांश भागों में लॉकडाउन चल रहा है | एक बार फिर से लोगों के बीच गंभीर आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है जिसमे विशेष रूप से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के अनौपचारिक मजदूर शामिल हैं । पिछले साल की तुलना में इस बार स्थिति और भी खराब है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया है, घर में कई और लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और यह सब पिछले साल के तुरंत बाद आया है जैसे मंदी, नौकरी छूटना और मजदूरी दर घटने जैसी समस्याएँ । देश भर में गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आजीविका और खाद्य सुरक्षा का संकट पूरी तरह से अदृश्य माना गया है और मौजूदा संकट के समय में उनकी सहायता के लिए शायद ही किसी विशेष पैकेज की घोषणा की जा रही है। जहां एक ओर प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई) की घोषणा केवल उन लोगों के लिए ही की गई है जो पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) के तहत शामिल हैं वहीं इसकी समय सीमा को केवल दो महीने (मई और जून) के लिए सीमित किया है | इस साल खाद्यान्न का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद सरकार के ऐसे कृत लोगों की तरफ उसकी उदासीनता भली-भांति स्पष्ट करता है।

कई समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2020-21 में 13.09 मेट्रिक टन गैर-बासमती चावल, 4.63 मेट्रिक टन बासमती चावल और 2.09 मेट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया गया था ,यह एक ऐसा वर्ष रहा जब लाखों भारतीयों को भूख और खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना करना पड़ा , जिससे उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आई है। इन निर्यात को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों के बीच वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें 25 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो प्रति महिना एक पूरे वर्ष दिया जा सकता था (बासमती चावल को छोड़कर) ! ई एक्सप्रेस पत्रिका में हरीश दामोदरन द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर , 13.09 मेट्रिक टन गैर-बासमती चावल को 35,448.24 करोड़ रुपये में निर्यात किया गया

था, जो लगभग रु 27/प्रति किलो के दर पर निर्यात किया गया, जो चावल का एफ.सी.आई की आर्थिक लागत से भी कम दर है (वर्तमान रु 37 / किग्रा आसपास)। Right to Food Campaign ऐसे खाद्यान्न की निर्यात की निंदा करता है जब देश के लोग भोजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

यह और भी भयावह है कि अभी तक पीडीएस के सार्वभौमिकरण और पी.एम.जी.के.ए.वाई के लंबी अवधि के लिए बढ़ाए जाने की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि यह स्पष्ट हो रहा है कि महामारी और इसके प्रभाव लम्बे समय तक चलने वाले हैं। एफ.सी.आई के गोदामों में खाद्यान्न भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड 10 करोड़ टन के ऊपर (चावल, गेहूं, बिना पिसाई धान और बाजरा सहित) स्तर पर है। यह बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार देश में भूखों के पेट भरने की परवाह नहीं करती है, बल्कि अनाज का निर्यात या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में इच्छुक है (जैसे पिछले वर्ष इथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया था)।

सार्वजनिक खरीद और एम.एस.पी प्रणाली के कारण ही खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन संभव हो पाया जिसका उपयोग संकट के समय में भी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हमें इस देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहिए और उनके संघर्ष को समर्थन करते हुए नए कृषि कानूनों के खिलाफ शामिल होना चाहिए और सार्वजनिक खरीदी की इस प्रणाली को मजबूत करना चाहिए । दूसरी ओर, सरकार की नीतियां जो एक तरफ किसानों से इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को छीनती हुई दिखाई दे रही हैं , वहीं दूसरी ओर सभी के लिए भोजन के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आगे आने से इनकार कर रही हैं जिसका विरोध किया जाना चाहिए।

हम यह मांग करते है कि तात्कालिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) का सार्वभौमिकरण किया जाए और 5 किलो अतिरिक्त प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, 1.5 किलो दाल और 800 ग्राम खाने का तेल भी बढ़ोतरी के साथ दिया जाए (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के साथ) । इसे कम से कम छह महीने की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

गंगाराम पैकरा, आयशा, कविता श्रीवास्तव, दीपा सिन्हा, अनुराधा तलवार, मुक्ता श्रीवास्तव, अमृता जौहरी, कोनिनिका रे

(Right to Food Campaign के संचालन समिति की ओर से)